न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, कक्ष संख्या–1, देवरिया।
उपस्थितः रवि यादव, एच० जे०एस०
जे०ओ० कोड–UP 6430
प्रथम जमानत प्रार्थना पत्र संख्या–454/2026
CNR No–UPDE010010072026

विजेंद्र प्रताप सिंह उर्फ छोटे सिंह उम्र 66 वर्ष पुत्र स्व. मोद नारायण सिंह
निवासी ग्राम रोपन छपरा, थाना लार, जनपद देवरिया।

– आवेदक/अभियुक्त

प्रति

उ०प्र० सरकार

–प्रतिपक्षी

मुकदमा अपराध संख्या–222/2025
धारा– 115 (2), 117(3), 125,
126(2),352,351 (2) भा.न्या.सं.
थाना लार, जनपद– देवरिया।

01.04.2026

1– आवेदक/अभियुक्त विजेंद्र प्रताप सिंह उर्फ छोटे सिंह की ओर से मुकदमा अपराध संख्या–222/2025 धारा– 115 (2), 117(3), 125,126(2),352,351 (2) भा.न्या.सं. थाना लार, जनपद– देवरिया के अन्तर्गत प्रथम जमानत प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया गया है। अभियुक्त प्रस्तुत प्रकरण में न्यायिक अभिरक्षा में जिला कारागार में निरूद्ध है। अभियुक्त द्वारा किए गये कथनों के समर्थन में शपथकर्ता आशुतोष कुमार सिंह द्वारा शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है।

2– अभियोजन कथानक यह है कि प्रथम सूचनाकर्ती श्रीमती प्रभा सिंह द्वारा थाना लार, जिला देवरिया में इस आशय का प्रार्थना–पत्र दिया गया कि उसके परिवार के साथ दिनांक 01 जून 2025 को उसके ही घर पर जानलेवा हमला किया गया है। वह, उसके पति एवं उसका बेटा दिनांक 01.06.2025 को दोपहर लगभग 2:00 बजे गोरखपुर से अपने गाँव स्थित घर पहुँचे। ये लोग सी.सी. टी.वी.. इन्वर्टर और अन्य विद्युत सामाग्री खरीद कर लाये थे। घर में बिजली मिस्त्री वायरिंग का काम कर रहा था और सी.सी. टी.वी. टेक्नीशियन छत की रेलिंग पर कैमरे का काम कर रहा था। लगभग 5:30 बजे, जब अंधेरा होने लगा था तब आकाश प्रताप सिंह तेज रफ्तार से अपनी स्विफ्ट गाड़ी लेकर आया और प्रथम सूचनाकर्ती के मुख्य द्वार के सामने गाड़ी खड़ी करके रास्ता रोक दिया, जिससे वे अपनी कार लेकर बाहर न आ

सके। वह सी.सी. टी.वी. मिस्त्री को गालियाँ देने लगा, जिसने अपनी बाईक प्रथम सूचनाकर्ती के घर के बाहर खड़ी की थी। जब मिस्त्री नीचे आकर अपनी बाईक हटाने लगा, यह सोचकर कि शायद आकाश को रास्ता चाहिए तभी आकाश ने कार की खिड़की नीचे की और सी. सी. टी.वी. टेक्नीशियन को जान से मारने की धमकी देते हुए कहा कि तेरा हाथ काट दूंगा, अगर इनके घर में काम किया तो। शोर सुनकर प्रथम सूचनाकर्ती के पति, जो बरामदे में खड़े थे, ने आकाश को शांत रहने को कहा और बताया कि मिस्त्री ने अपनी बाईक हटा ली है. अब क्या समस्या है। यह सुनते ही आकाश ने गाड़ी तेजी से निकाली और गुस्से में घर के बरामदे में घुसकर उसके पति का कॉलर पकड़ लिया और उन्हें पीटना शुरू कर दिया। उसका बेटा, जो ऊपर छत पर था, पिता को पिटता देख बीच–बचाव के लिए नीचे आया तो आकाश ने उसकी गर्दन पकड़ ली और गला दबाने लगा। तभी आकाश का पिता बृजेन्द्र सिंह उर्फ छोटे और उसकी माँ पूनम भी मौके पर पहुँचे। छोटे प्रथम सूचनाकर्ती के बेटे के सीने पर बार–बार मुक्के और कोहनी से मारने लगे, जबकि पूनम ने उसके पति के सिर पर स्टील की बाल्टी से वार किया। किसी तरह उसके पति और बेटा उनके चंगुल से छूटे तभी आकाश ने उसके बेटे के सिर पर मारने की नीयत से ईंट उठायी। दो गाँव वाले बीच–बचाव करने आए और उसके हाथ से ईंट खींच लिए। फिर आकाश मुक्के से बेटे के सिर व आँख पर मारने लगा, जिससे चोट आयी। छोटे ने धारदार हथियार से उसके बेटे के गले, आँख और हाथ पर वार किया। आकाश वहाँ से चिल्लाते हुए की रुक प्रधान आदमी लेके आवत बा, वहाँ से निकल गया। उसके जाते ही छोटू ने बंदूक निकाल ली और जान से मारने की धमकी दी कि तेरे पति व बेटे को गोली से उड़ा दूंगा। उसके बेटे ने तुरंत 112 नंबर पर तीन बार फोन किया (इवेंट आईडी: PO10625XXXXX, PRV UP32DG1469) उसके पुत्र ने 112 नंबर से एम्बुलेंस लाने को कहा। थोड़ी देर बाद आकाश, ग्राम प्रधान दीपेन्द्र सिंह, विवकी पुत्र गिरिजा और 4–5 अन्य सहयोगियों के साथ वापस आया और उसके पति पर दोबारा हमला किया और ईंट, लात, मुक्के एवं धारदार हथियार से मारने लगे। उन्होंने उसके पति की जान लेने की नीयत से पेट, छपती, सिर व नाक पर बुरी तरह से मुक्के मारे और लात मारे। आकाश बार–बार ईंट उठाकर फेंकने लगा कि उसके पति व बेटे को लग जाए। फिर प्रधान दीपेन्द्र सिंह ने उसके पति का हाथ पकड़ लिया ताकि वह भाग न सके और तभी गाँव का विक्की पुत्र गिरिजा आया और उसके पति के सीने पर लातें मारने लगा। आकाश ने एक ईंट उठायी और उसके पति की कलाई कूच दी और पूरी ताकत से फिर फेंकी, जो उनके सीने पर मारने के लिए थी लेकिन हाथ पर लगी और उनकी बांयी बांह पूरी तरह से टूट गई और सुन्न हो गई। इस गंभीर चोट से उसके पति मौके पर ही अचेत हो गए। प्रथम सूचनाकर्ती ने उन्हें बचाने की कोशिश की तो उसे भी गालियों दी गई और थप्पड़ मार के गिरा दिए और आकाश व छोटे ने उसके साथ अभद्रता की और बाकी लड़कों ने उसे मारा। आकाश लड़कों से चिल्ला के बोलने लगा, आज इन सबको खत्म कर देना है, इनमें से कोई बच के न निकल पाए तभी 112 नंबर पुलिस की गाड़ी आयी और सिपाही देवेन्द्र ने उसके पति की हालत देख, उसके बेटे से कहा कि तुरंत उन्हें अस्पताल ले जाएं और बाद में एफ.आई.आर.

दर्ज कराएं। प्रथम सूचनाकर्ती का बेटा जो खुद भी घायल था, किसी तरह उसके पति को गाड़ी से पी.एच.सी. लार लेकर गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें देवरिया अस्पताल रेफर कर दिया गया। गंभीर हालत देखते हुए वहाँ से उन्हें बी.आर.डी. मेडिकल कॉलेज गोरखपुर रेफर किया गया। एम्बुलेंस से देवरिया से उसके पति गोरखपुर आए। चूंकि दिन रविवार का था और मिनि ऑटो उपलब्ध नहीं थी इसलिए उसके बेटे ने उन्हें शिशोदिया अस्पताल में भर्ती कराया लेकिन स्थिति बिगड़ने पर 5 जून को MAX हॉस्पिटल साकेत (दिल्ली) ले गया, जहाँ डॉक्टरों ने उनकी हालत गंभीर बतायी और तुरंत ओर्मी हॉस्पिटल RR रेफर किया। वहाँ डॉक्टरों ने बताया कि सिर, हाथ व कनपटी पर चोटें इतनी गम्भीर है कि जीवन को खतरा है और उसके पति पिछले 10 दिनों से ICU में भर्ती हैं। इस जानलेवा हमले से प्रथम सूचनाकर्ती और उसका पूरी परिवार खौफजदा है, अतः पुलिस सुरक्षा की मांग करते हैं। स्थिति की गंभीरता एवं उसके पति के स्वास्थ्य को देखते हुए वह थाने पर आकर एफ.आई.आर. करने में असमर्थ है। आकाश के घर पर लगे सी.सी. टी.वी. की फुटेज को तुरंत सुरक्षित करने, जिससे कोई छेड़छाड़ न करे एवं गाँव में लगे सी.सी. टी.वी. फुटेज भी खंगाली जाए। अतः उपरोक्त सभी घटनाओं को संज्ञान में लेते हुए आकाश प्रताप सिंह, बृजेन्द्र सिंह उर्फ छोटे, पूनम, प्रधान दीपेन्द्र सिंह, विक्की पुत्र गिरिजा और अन्य सहयोगियों के विरुद्ध सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर, उन्हें तत्काल गिरफ्तार कर, सख्त कानूनी कार्यवाही किये जाने की मांग की गई।

3– प्रथम सूचनाकर्ती के उपरोक्त प्रार्थना –पत्र के आधार पर दिनांक 24.06.2025 को अभियुक्तगण आकाश प्रताप सिंह, बृजेन्द्र सिंह उर्फ छोटे, पूनम देवी, दीपेन्द्र सिंह, विक्की एवं 4–5 अज्ञात व्यक्तियों के विरुद्ध थाना लार, जिला–देवरिया में अपराध संख्या 222/2025, धारा 191 (2), 115 (2),352,351(2), 109(1),125,126 (2) भा. न्या.सं. के तहत मुकदमा पंजीकृत किया गया। दौरान विवेचना धारा 109(1), 191 (2) B.N.S. को विलोपित करते हुए धारा 117(3) B.N.S. की बढोत्तरी करते हुए आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया गया है।

4– आवेदक/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता द्वारा मुख्यतः यह तर्क प्रस्तुत किया गया कि आवेदक/अभियुक्त की तरफ से प्रस्तुत यह प्रथम जमानत आवेदन है, इसके अतिरिक्त अन्य कोई जमानत आवेदन माननीय उच्च न्यायालय अथवा किसी अन्य न्यायालय में न दाखिल है न लम्बित है न ही निस्तारित हुआ है। आवेदक/अभियुक्त सर्वथा निर्दोष है कोई अपराध नहीं किया है। आवेदक/अभियुक्त दिनांक 28.12.2025 से न्यायिक अभिरक्षा में जिला कारागार देवरिया में निरूद्ध है। अभिकथित घटना दिनांक 01.06.2025 की प्रथम सूचना 23 दिन बाद दिनांक 24.06.2025 को अप्रत्याशित घोर विलम्ब से पंजीकृत करायी गयी है, जिसका कोई स्पष्टीकरण प्रथम सूचना में नहीं है। आवेदक/अभियुक्त ने किसी को मारा–पीटा नहीं है न किसी का रास्ता रोका है न गाली–गुप्ता व जान–माल की धमकी दिया न ही किसी समक्ष संकट की स्थिति उत्पन्न किया है न किसी का हाथ तोड़ा है। इसके विपरित कथन अभियोजन बिल्कुल झूठा व गलत है। वादिनी द्वारा मुकदमेबाजों से राय पाकर 23 दिनों तक

सलाह मशवरा करके झूठा व फर्जी प्रथम सूचना रिपोर्ट पंजीकृत कराया गया है। प्रथम सूचना के अनुसार वादिनी के पति को जो चोटें आना अभिकथित है , उसके अनुसार आवेदक/अभियुक्त द्वारा के विरूद्ध 117(3) बीएनएस का अपराध नहीं बनता है। प्रथम सूचना में प्रार्थी द्वारा वादिनी के पति के हाथ में फ्रैक्चर कारित करना नहीं कहा गया है। वादिनी के पति को किसी अन्य प्रकार से आयी चोटें को आधार बनाकर 23 दिन पश्चात जमीनी रंजिश के विवाद में शिकस्त देने की नियत से झूठा मुकदमा पंजीकृत कराया है अन्यथा लेशमात्र भी सत्यत्ता कथानक अभियोजन में नहीं है। वादिनी के पति के हाथ में चोट आने के अतिरिक्त अन्य कोई चोट शरीर पर नहीं आयी है और न ही किसी अन्य को कोई चोट आयी है। लेकिन वादिनी द्वारा बढ़ा–चढ़ाकर झूठा प्रथम सूचना पंजीकृत करा दिया गया है। आवेदक/अभियुक्त व वादी सगे पट्टीदार है तथा हमारे बीच आपस में जमीनी विवाद है। जमीनी विवाद को लेकर वादिनी पक्ष के लोग रंजिश रखते है। प्रथम सूचना में अभिकथित घटना का गांव का कोई जनसाक्षी नामांकित नहीं है। यद्यपि कि घटना स्थल के अगल–बगल तमाम लोगों के मकान है। आवेदक/अभियुक्त 66 वर्षीय वृद्ध है तथा आवेदक/अभियुक्त को उपरोक्त अभियोग में मिथ्या रूप से आलिप्त किया गया है। आवेदक/अभियुक्त के विरूद्ध कोई अपराध अन्तर्गत धारा 115 (2). 117(3), 352, 351(2),125, 126(2) बीएनएस का नहीं बनता है। आवेदक/अभियुक्त के विरूद्ध कोई सम्यक व समीचीन साक्ष्य नहीं है। अतः आवेदक/अभियुक्त ने जमानत पर रिहा करने का निवेदन किया है।

5– अभियोजन की ओर से विद्वान अपर जिला शासकीय अधिवक्ता. (फौजदारी) द्वारा जमानत प्रार्थनापत्र का विरोध करते हुए यह कहा गया है कि प्रार्थी / अभियुक्त द्वारा सह–अभियुक्तगण के साथ मिलकर प्रथम सूचनाकर्ती, उसके पति एवं उसके बेटे को जान से मारने की नीयत से मारने–पीटने एवं प्रथम सूचनाकर्ती के पति के हाथ पर ईंट से मार–मार कर गम्भीर चोट होने के कारण, हाथ का ऑपरेशन कर विभाजन हुआ। अपराध की गम्भीरता एवं दण्ड की मात्रा को देखते हुए जमानत प्रार्थना–पत्र निरस्त किये जाने का निवेदन किया गया है।

6– मैंने अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता एवं अभियोजन पक्ष की ओर से विद्वान अपर जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) के तर्को को सुना एवं पत्रावली का अवलोकन किया।

7– प्रस्तुत मामले की केस डायरी, अन्य प्रपत्रो के अवलोकन से यह विदित होता है कि अभियोजन कथानक के अनुसार प्रार्थी/अभियुक्त द्वारा सह–अभियुक्तगण के साथ मिलकर प्रथम सूचनाकर्ती, उसके पति एवं उसके बेटे को जान से मारने की नीयत से मारने–पीटने एवं प्रथम सूचनाकर्ती के पति के हाथ पर ईंट से मार–मार कर गम्भीर चोट कारित करने का कथन किया गया है। केस डायरी के पर्चा न. 11 में डा० विशाल वर्मा मेडिकल आफिसर आर्मी हास्पिटल आर. आर. दिल्ली कैन्ट द्वारा अपने बयान में यह कहा गया है कि मजरूब अनिल कुमार सिंह के बाये हाथ के केहुनी से ज्वाइन्ट डिस लोकेट हो गया था और निले रंग का फफोला था व बाये हाथ के एलबो से आगे के हिस्से के हाथ में संवेदन कम थी और बाये

हाथ की अंगुली और कलाई पर गतिविधियाँ नहीं थी। इलाज में विलम्ब होने के कारण लगी चोट में इन्फैक्सन हो गया था, जिस कारण बाँह का आपरेशन कर बाँह का विभाजन किया गया है। केस डायरी में अंकित बयान में मजरूब एव अन्य स्वतंत्र साक्षीगण द्वारा घटना का समर्थन किया गया है। आवेदक/अभियुक्त के विरूद्ध आरोप पत्र धार 115(2),117(3),125,126 (2),352,351 (2) बी०एन०एस० में न्यायालय में प्रेषित किया जा चुका है। इस प्रकार आवेदक/अभियुक्त को मिथ्यारोपित किये जाने का कोई ठोस साक्ष्य विद्यमान नहीं है। आवेदक/अभियुक्त द्वारा जो कथन किया गया है वह साक्ष्य व विचारण का विषय है।

8– अतः मामले के तथ्य व परिस्थतियों में अपराध की प्रकृति व गम्भीरता तथा अपराध किए जाने के तरीके को देखते हुए मामले के गुणदोष पर राय व्यक्त किए बिना जमानत का उचित आधार नहीं पाया जाता है।

आदेश

आवेदक/अभियुक्त विजेंद्र प्रताप सिंह उर्फ छोटे सिंह की ओर से प्रस्तुत मुकदमा अपराध संख्या–222/2025 धारा– 115 (2), 117(3), 125, 126(2), 352, 351 (2) भा.न्या.सं. थाना लार, जनपद– देवरिया के प्रकरण में प्रथम जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त किया जाता है।

दिनांक 01.04.2026

(रवि यादव)
अपर सत्र न्यायाधीश,
कक्ष संख्या 1, देवरिया।